दिनांक 23.01.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कृषि विभाग विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में माननीय मंत्री, कृषि, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उपसमिति–I की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. माननीय मंत्री, कृषि द्वारा बताया गया कि राज्य की 76% आबादी कृषि पर आधारित है तथा हमारे कृषक मेहनती हैं। दूसरे कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में खाद्यान्न एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा कृषकों की आमदनी दोगुना करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों को बैंकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त होती है। उन्होंने एक अभियान चलाकर राज्य के सभी योग्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत आच्छादित करने/कृषि ऋण/बैंकों से सम्बद्ध योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)

3. सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना द्वारा गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की स्थिति से कृषि उत्पादन आयुक्त/माननीय मंत्री, कृषि विभाग को अवगत कराया गया। सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण बीमा राशि के दावे का भुगतान कृषकों को शीघ्र करने सम्बन्धी गत बैठक के निदेश के क्रम में कृत कार्रवाई की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा अगली बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–सहकारिता विभाग, बिहार, पटना)

4. सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बताया गया कि गत एस० एल० बी० सी० की बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री के निदेशानुसार एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति की दो Sectoral Working Group कृषि की उप समिति –I तथा पशुपालन की उप समिति –II गठित की गई है।
5. राज्य में करीब 1.61 करोड़ किसान हैं जबकि 60–61 लाख किसानों को ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। राज्य के शेष योग्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान (Sepcial Drive) चलाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सभी प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन सृजित करने हेतु प्रखंड स्तरीय मेगा क्रेडिट कैम्प आयोजित करने का सुझाव दिया गया। सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बताया गया कि वर्तमान रबी मौसम में फसलों की बुआई इत्यादि कार्य हो गया है। अतः आगामी खरीफ मौसम के पूर्व प्रखंड स्तरीय के० सी० सी० कैम्प का आयोजन करना उचित होगा। वर्तमान में अनुमंडल स्तर पर आयोजित कृषि यांत्रिकरण मेला में के० सी० सी० शिविर लगाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई – संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना
सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना)

6. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा विशेष अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन सृजित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने का निदेश दिया गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रेस

विज्ञप्ति तैयार कर कृषि निदेशलय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को निदेश दिया।

(कार्रवाई – एस० एल० बी० सी०, पटना
सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना)

7. कृषि ऋण के लिए कॉलेटरल सिक्यूरिटी(Collateral Security) की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर तीन लाख करने हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के स्तर से माननीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखने हेतु संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–वित्त विभाग, बिहार, पटना)

8. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत नबार्ड को उपलब्ध कराए गए 10.00(दस) करोड़ रूपये का बैंकवार उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय की गई राशि की समीक्षा की गई। सहायक महाप्रबंधक, नबार्ड द्वारा बताया गया कि 2.87 करोड़ रूपये का व्यय का प्रतिवेदन ग्रामीण बैंकों से प्राप्त हुआ है। सभी व्यवसायिक बैंकों को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु स्मार पत्र भेजा गया है। बैंकों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि MOU के अनुसार 31.10.2018 निर्धारित है। वर्ष 2017–18 के लिए MOU हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सहायक महाप्रबंधक, नबार्ड द्वारा बताया गया कि मार्च 2018 तक बैंकों से दावे(claim) प्राप्त होने पर अप्रील 2018 माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(कार्रवाई– मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, पटना)

9. संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण) द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) में बैंकों से ऋण स्वीकृति में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण राशि कम खर्च हुई है जबकि इस योजना अन्तर्गत अनुदान 40% है। सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा लम्बित आवेदनों की बैंकवार सूची सॉफ्ट कॉपी में ईमेल slbc.bibar@sbi.co.in पर शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय ताकि सम्बन्धित बैंकों को इसे भेजा जा सके। संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण) द्वारा दो माह पूर्व सूची उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। माननीय मंत्री, कृषि द्वारा लम्बित आवेदनों की सूची/योजनाओं के कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति एस० एल० बी० सी० को उपलब्ध नहीं कराने पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा निदेश दिया गया कि आवेदनों की सूची शीघ्र एस० एल० बी० सी० को भेजें।

(कार्रवाई– संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना
सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना)

10. निदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत 200 प्रोजेक्ट में मात्र 15 में बैंकों से स्वीकृति मिली है तथा राशि खर्च नहीं हो रही है। पूर्व में NHM से सम्बन्धित कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने इस योजना अन्तर्गत 50% के करीब अनुदान की जानकारी दी। उन्होंने इस योजना के विभिन्न घटक(Component) योजना में अनुदान की राशि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 प्रोजेक्ट स्वीकृत है तथा बैंक से tie up नहीं हो रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा योजनाओं की स्वीकृत्यादेश, एस० एल० बी० सी०/अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक/एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति–I को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा गत वर्ष इस योजना अन्तर्गत लम्बित आवेदनों की सूची कारण के साथ अगली

बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही इसकी प्रति सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को ईमेल slbc.bibar@sbi.co.in पर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना,
सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना)

11. निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि राज्य में जलछाजन विकास(Wathershed Development) की 123 परियोजनाएँ चल रही है तथा कुल 532 परियोजनाएँ हैं। माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के 17 जिला में जलछाजन विकास का वृहत कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं तथा इससे 80–90 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। उन्होंने जलछाजन की कुल 532 परियोजनाओं के लिए RIDF के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु नवार्ड के पदाधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक आहूत करने हेतु निदेशक, भूमि संरक्षण को निदेश दिया।

(कार्रवाई– मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, पटना,
निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना)

12. माननीय मंत्री, कृषि द्वारा राज्य में बैंक का C.D. ratio के बारे में जानकारी ली गई। बैंक अधिकारियों द्वारा C.D. ratio 42% के आसपास होने की जानकारी दी जबकि इसे 60% होना चाहिए। उन्होंने राज्य के किसानों को अधिक–से–अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य में विशेष फसलें (Special Crops) के बारे में बैंक अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की जाएगी जिसमें कृषक प्रतिनिधिगण भाग लेंगे।

(कार्रवाई– एस० एल० बी० सी०, पटना)

13. निदेशक, बामेति, बिहार द्वारा बताया गया कि राज्य में 3000 (तीन हजार) कृषक समूह का निर्माण किया गया है। इन कृषक समूहों को बैंक से मदद की आवश्यकता है। उन्होंने 4500 नवयुवकों को कौशल प्रशिक्षण(Skill Training) दिये जाने की जानकारी दी ताकि वे स्वरोजगार कर सके। माननीय मंत्री, कृषि द्वारा पंचायतों में आयोजित चौपाल में किसानों के के० सी० सी० बैंक खाते अभियान चलाकर खुलवाने का निदेश दिया गया। जिला स्तर पर नबार्ड/अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक/भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि/कृषि विभाग एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के प्रतिनिधि को कृषक समूह को ऋण स्वीकृति/ कौशल प्रशिक्षण(Skill Training) प्राप्त नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु जिला स्तर पर बैठक करने तथा एक मुख्यालय स्तर पर बैठक करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– निदेशक, बामेति, बिहार, पटना,
सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना)

14. माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार में दो तरह के किसान हैं :– (1) स्वयं खेती करते हैं तथा (II) बटाई पर खेती करने वाले कृषक। उन्होंने बैंक अधिकारियों से जानकारी ली कि जनधन योजना अन्तर्गत जितने बैंक खाते खोले गए हैं क्या सभी को जोड़कर कृषि ऋण हेतु खाता खोला जाएगा। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य के भूमिहीन/पट्टाधारी/बटाई पर खेती करने वाले कृषकों के Joint Liability Group (J.L.G.) का निर्माण कर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना है। केवल मध्य बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा JLG को ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। JLG को भूमि अभिलेख (Land record) नहीं रहने के कारण financing में कमी आई है। अधिक से अधिक संख्या में कृषकों के JLG का निर्माण कर कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु सभी बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई– सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना)

15. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा के० सी० सी० ऋण स्वीकृति में परेशानियों के सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों से जानकारी ली गई। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा भूधारिता प्रमाण पत्र (L.P.C.)/जमीन का अद्यतन रसीद/किसानों के पास बकाया (Over dues) बताया गया। LPC को सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय भेजते हैं भेजा जाता है तथा Website पर नहीं डालने के कारण LPC जाँच में विलम्ब होता है। बैंक अधिकारियों द्वारा राज्य में भू अभिलेख (Land records) का कम्प्यूटरीकृत शीघ्र कर On Line करने का अनुरोध किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से किसी प्रतिनिधि के भाग नहीं लेने पर चिंता व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक पत्र दिया जाय कि वे अंचल को निदेश दें कि LPC को Website पर Upload किया जाय।

(कार्रवाई– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना)

16. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि फसल क्षतिपूर्ति राशि/कृषि विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों के खाते में डालने में बैंकों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। इस सम्बन्ध में जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास/जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल से पत्र प्राप्त हुए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक 221 दिनांक 20.01.2018 द्वारा लाभार्थी का RTGS का भारतीय स्टेट बैंक, रोहतास का Bank Statement स्पष्ट नहीं होने तथा 28,00,556(अठाईस लाख पाँच सौ छप्पन) रूपये का अन्तर होने की सूचना दी गई है। साथ ही खाता संख्या 11133925457 का बैंक समाशोधन लम्बित होने की सूचना दी गई है। प्रधान सचिव, कृषि द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कृषकों के खाते में Transfer की गई अनुदान राशि को rectify करने का निदेश दिया गया ताकि इसमें किसी तरह की भिन्नता नहीं हो। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि RTGS करने हेतु प्राप्त Advice के उपरान्त लाभान्वितों के खाते में शीघ्र राशि RTGS किया जाय।

(कार्रवाई– सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना)

17. सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अगली बैठक दिनांक 09.02.2018 को आयोजित करने की सूचना दी गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 786 दिनांक : 08-2-18

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई –1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पांचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला, डाक बंगला रोड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 786 दिनांक : 08-2-18

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकरी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), सूचना, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) योजना, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 786 दिनांक : 08-2-18

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 786 दिनांक : 08-2-18

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।